मध्यप्रदेश शासन

वित्त बिभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ. बी. 25/20/94/पीडब्ल्यूसी/चार, भोपाल, दिनांक 1 जुलाई, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश .

विषय :--शासकीय सेवकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप विकल्प प्रस्तुत करने बाबत स्वीकृत.

राज्य शासन ने विभिन्न वेतन आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर शासकीय सेवकों के समय-समय पर वेतन पुनरीक्षित करने के आदेश **प्रसारित किये हैं.** वेतन पुनरीक्षण नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतनमान की नियत तिथि या पश्चातवर्ती तिथि या पूर्व वेतनमान में ले रहे वेतन की किसी स्टेज पर नवीन पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करने के लिये निर्धारित प्रारूप में विकल्प कार्यालय प्रमुख को निश्चित समयावधि के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है, एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होता है.

2. राज्य शासन के विचारार्थ कई ऐसे प्रकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें शासकीय सेवकों द्वारा त्रुटिपूर्ण, कांट-छांट सहित अथवा अस्पष्ट विकल्प देने के कारण पुन: विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति चाही जाती है.

3. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प को निम्न कारणों के परिणामस्वरूप विकल्प परिवर्तन स्वीकृति के अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित किये जाते हैं :--

(1) सेवा पुस्तिका में विकल्प दर्ज न होना या अस्पष्ट पाया जाना.

(2) विकल्प फार्म में कांट-छांट या अस्पष्टता.

(3) भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत होने पर विकल्प का रिवीजन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(के. एन. पन्त)
अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्र. एफ. बी. 25/20/94/पीडब्ल्यूसी/चार भोपाल, दिनांक 1 जुलाई, 1995

प्रतिलिपि :--

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.

5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

---

6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल.

---

8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.
9. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय, 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
10. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय, 85/16, तुलसी नगर, भोपाल.
11. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय, 12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
12. प्रमुख महामंत्री, मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.

हस्ता./-
(के. एन. पन्त)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.